हिन्दुस्तान 02
पटना • मंगलवार • 22 जनवरी 2019

रेरा और निकाय करेंगे लेबर सेस की वसूली

हिन्दुस्तान
खास

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब दस लाख से अधिक खर्च कर मकान-दुकान या अपार्टमेंट बनाने वालों को हर हाल में लेबर सेस (श्रमिक अधिभार) देना होगा। सरकार की ओर से तय एक फीसदी लेबर सेस की सुनिश्चित वसूली के लिए श्रम संसाधन विभाग सूबे के नगर निकायों और रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) की सहायता लेने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी।

लेबर सेस में वसूली गई राशि मजदूरों के कल्याण पर खर्च होती है। इसलिए विभागीय स्तर पर कोशिश है कि शीघ्र इस पर अमल हो जाए। सरकार के नियमानुसार 10 लाख से अधिक के निर्माण पर एक फीसदी लेबर सेस की वसूली की जानी है।

सरकारी निर्माण कार्यों में तय राशि से अधिक की परियोजना पर संबंधित विभाग कुल राशि में से एक फीसदी श्रम संसाधन विभाग को हस्तांतरित कर देता है। भवन, सड़क, पुल-पुलिया से लेकर सभी सरकारी निर्माण में यह लागू है। लेकिन निजी निर्माण में लेबर सेस वसूली परेशानी हो रही है। विभाग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वह 10 लाख से अधिक के निजी निर्माण कार्यों में एक फीसदी की सेस वसूल सके। जबकि राज्य में बड़े अस्पताल, प्रतिष्ठान, मॉल, अपार्टमेंट से लेकर करोड़ों खर्च कर निजी मकान भी बन रहे हैं। ऐसे सभी गैर सरकारी निर्माण कार्यों से लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित हो, इसके लिए रेरा व नगर निकायों की सहायता लेने के प्रस्ताव पर काम हो रहा है। चूंकि मकान, बड़े दुकान-संस्थान हो या अपार्टमेंट, बनाने से पहले उसके नक्शे की मंजूरी रेरा और नगर निगमों से जरूरी है। मंजूरी के दौरान उस पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि का भी ब्योरा होता है। इसलिए श्रम संसाधन विभाग नगर निकाय व रेरा के सहयोग से लेबर सेस की वसूली करेगा।

इस बाबत नगर विकास विभाग और रेरा से आवश्यक पत्राचार किया जाएगा ताकि नक्शा की मंजूरी के समय में ही एक फीसदी लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित हो जाए।

श्रम विभाग

- निर्माण के समय कुल लागत का एक फीसदी लगेगा सेस
- सेस की राशि मजदूरों पर खर्च करता है श्रम संसाधन विभाग

1037 करोड़ लेबर सेस की वसूली अब तक कर चुका विभाग

447 करोड़ रुपए सेस की वसूली जुलाई 2017 के बाद हुई है

सरकारी निर्माण में सेस की वसूली आसानी से हो रही है पर गैर सरकारी में परेशानी हो रही है। इसलिए नगर निगम व रेरा से जोड़ने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इससे नक्शा स्वीकृत होने के समय ही लेबर सेस की वसूली सुनिश्चित हो जाएगी। – **दीपक कुमार सिंह**, प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग